उत्तराखण्ड शासन

ईमेल आई0डी0– info@ukmc.in
दूरभाष / फैक्स नं0 0135–2781201

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी अधोईवाला देहरादून।

डॉ0 आर0के0जैन, अध्यक्ष उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 23.03.2022 को अपराह्न 1.00 बजे मा0 आयोग की आहूत बैठक का कार्यवृत्त–

दिनांक 23.03.2022, को आहूत बैठक में उपस्थित महानुभाव एवं सदस्यों की उपस्थिति का विवरण:–

1. डॉ0 आर0के0 जैन, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसख्यक आयोग, देहरादून।
2. श्री मज़हर नईम नवाब, मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
3. श्री सरदार [illegible] सिंह, मा0 उपाध्यक्ष, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
4. श्रीमती [illegible] जावेद, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसख्यक आयोग, देहरादून।
5. श्री गुलाम मुस्तफा, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
6. श्री वरीश उर्फ राव काले खां, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसख्यक आयोग, देहरादून।
7. श्री असगर अली, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
8. श्री सन्तोख सिंह नागपाल, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
9. श्री परमिन्दर सिंह, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
10. श्री मौ0 तस्लीम, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
11. श्री जे.एस.रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
12. श्रीमती शमा प्रवीन, वैयक्तिक सहायक, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग,देहरादून।

बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित समस्त महानुभाव, सदस्यों एवं कर्मचारियों का स्वागत करते हुए बैठक के एजेण्डानुसार बैठक प्रारम्भ की गयी।

बजट के सम्बन्ध में:–बैठक में उपस्थित महानुभावों / सदस्यों द्वारा अवगत कराया कि उन्हें जून, 2021, से मानदेय एवं अन्य सुविधाओं की धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में श्री जे.एस.रावत, सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि बजट प्राप्त की कार्यवाही गतिमान है। बजट प्राप्त होते ही इसी वित्तीय वर्ष में माह जून, 2021 से मानदेय एवं अन्य सुविधाओं का भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सदस्यों द्वारा अवगत कराया गया कि उनका वेतन / मानदेय की धनराशि रू0 6000 / – को उत्तर–प्रदेश की भांति रू0 25,000 / – प्रतिमाह दिया जाय। सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि प्रकरण शासन स्तर पर विचारधीन है। इसके अतिरिक्त सदस्यगणों द्वारा यह भी मांग की गयी कि उन्हें टी.ए. / डी.ए. भी प्राप्त होना चाहिए। सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि जिन सदस्योंगणों द्वारा अपना वास्वविक टी.ए. बिल कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था, उन्हें भुगतान कर दिया गया है तथा आगामी वर्ष 2022–23 हेतु कुल रू0 1,71,50000 / – का बजट प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन से अपेक्षा है कि सदस्यगणों के मानदेय, जो कि रू0 6000 / –से रू0 25,000 / – का प्रस्ताव शासन पर विचाराधीन हैं, को स्वीकृत कराते हुए मा0 आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

(कार्यवाही:– प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

जन–जानकारी अभियान कार्यक्रम:– विगत तीन वर्षो से मा0 आयोग के द्वारा जनहित में जन–जानकारी अभियान कार्यक्रम का आयोजन उत्तराखण्ड प्रदेश के जनपद मुख्यालयों, विकासखण्डों, तहसील स्तर एवं अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास, शैक्षिक स्तर को बढ़ाये जाने हेतु भारत सरकार एव राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं मा0 आयोग के कृत्यों की जानकारी दी जा रही है, इसमें सभी विभागीय योजनाओं के साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाओं का भी प्रचार–प्रसार कर जानकारी अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाये जाना मुख्य उद्देश्य है, ताकि सरकारी योजनाओं का शतप्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारी / निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देहरादून से अपेक्षा है कि विभागीय अधिकारियों को विशेषकर अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में भ्रमण कर

योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें लाभान्वित किये जाने का प्रयास किया जाय। साथ ही समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड से यह भी अपेक्षा है कि मा0 आयोग द्वारा चलाये जा रहे उक्त जन–जानकारी अभियान कार्यक्रम में जनपद स्तर के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित करें। इसके साथ ही माह मई, 2022 में अनुश्रवण/ अल्पसंख्यकों के विकास कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किये जाने हेतु मा0 अध्यक्ष जी द्वारा जनपद रूद्रप्रयाग व चमोली, श्री मज़हर नईम नवाब, मा0 उपाध्यक्ष द्वारा जनपद हरिद्वार, अल्मोड़ा, बागेश्वर व नैनीताल तथा सरदार इकबाल सिंह, मा0 उपाध्यक्ष द्वारा जनपद चम्पावत व ऊधमसिंहनगर में **जन–जानकारी अभियान कार्यक्रम** का आयोजन किया जायेगा। जनपद नैनीताल व ऊधमसिंहनगर में मा0 उपाध्यक्षगणों द्वारा एक साथ **जन–जानकारी अभियान कार्यक्रम** आयोजित किया जायेगा। कार्यक्रम में संबंधित जनपदों में निवासरत् अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाय।

(कार्यवाहीः–समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड/निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, देहरादून।)

मा0 आयोग के कृत्यों के सम्बन्ध में:– उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम–2002 की धारा–8(2) के अन्तर्गत स्वयं अपनी प्रक्रिया अपनाने जाने का प्रावधान के अनुसार मा0 आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि धारा–9(3) क में किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना, शपथ पत्रों पर साक्ष्या ग्रहण करना, किसी कार्यालय से कोई लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना, साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना और कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय, का प्रावधान है, जिसके सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा उक्त प्रावधानानुसार निर्णय लिया गया कि मा0 आयोग द्वारा शिकायत आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शपथ–पत्र में यह बिन्दु भी जोड़ा जाय कि यह कि शपथकर्ता जब कभी भी मा0 आयोग द्वारा जिस स्थान व समय पर उपस्थित होने हेतु सम्मन किया जायेगा, तो शपथकर्ता ससमय उपस्थित होने हेतु बाध्य होगा, यदि उपस्थित नहीं होता है, तो शपथपकर्ता का शिकायती प्रार्थना–पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा तथा यदि शिकायतकर्ता अपने प्रतिनिधि को नामित करता है, तो नामित पत्र व नामित प्रतिनिधि की फोटो आई.डी. अवश्य मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा प्रतिनिधि अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित ही होना चाहिए तथा अधिवक्ता के माध्यम से भी अपनी समस्या मा0 आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

(कार्यवाहीः–सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग)

अन्त में उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम–2002 में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुए मा0 आयोग की गरिमा को बनाये रखने के साथ ही बैठक सधन्यवाद समाप्त की जाती है।

(डॉ0 आर0के0जैन)
अध्यक्ष,
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।

कार्यालय–उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग देहरादून

पत्रांक 08 **/उ0अ0स0/109–मा0 आयोग बैठक–कार्यवृत्त/2021–22 दिनांक** 01 ~~मार्च, 2022~~ अप्रैल 2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 उपाध्यक्षगण, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
2. मा0 सदस्यगण, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग, देहरादून।
7. गार्ड पत्रावली।

अध्यक्ष
उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग
देहरादून।